



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 155-2021/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021 (BHADRA 30, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 सितंबर, 2021

संख्या 47/जीएसटी-2.- हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 43/जीएसटी-2, दिनांक 07 मई, 2020 तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 19/जीएसटी-2, दिनांक 21 मई, 2021 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) की धारा 20 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करते हैं कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समय सीमा प्रथम मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयावधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समय सीमा का 30 सितंबर, 2021 तक विस्तार किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 21st September, 2021

No. 47/GST-2.— In partial modification of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notifications No.43/GST-2, dated the 7th May, 2020 and Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.19/GST-2, dated the 21st May, 2021, in exercise of the powers conferred by section 168A of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies that where a registration has been cancelled under clause (b) or (c) of sub-section (2) of section 29 of the said Act and the time limit for making an application of revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of section 30 of the said Act falls during the period from the 1st day of March, 2020 to 31st day of August, 2021, the time limit for making such application shall be extended upto the 30th day of September, 2021.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.